एलजीबीटी घरेलू हिंसा और सम्मान आधारित हिंसा परियोजना स्टोनवाल हाऊसिंग

जबरन शादी क्या होती है?

एक जबरन शादी वह होती है जिसमें एक या दोनों लोग शादी के लिए सहमत नहीं है और फिर दबाव या दुर्व्यवहार का उपयोग किया जाता है। यह भयावह तथा असमर्थनीय प्रथा है और इसे ब्रिटेन में पुरुषों और महिलाओं के खिलाफ हिंसा, घरेलू/ बाल शोषण और मानव अधिकारों के गंभीर दुर्व्यवहार के रूप में माना जाता है।

लोगों पर उनकी मर्जी के खिलाफ शादी करने के लिए शारीरिक (जिसमें डराना, वास्तविक शारीरिक हिंसा और यौन हिंसा शामिल है) या भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक (उदाहरण के तौर पर जब किसी को एहसास करवाया जाता है कि इस तरह वे अपने परिवार को शर्मिंदा करेंगे) दबाव डाला जा सकता है।

अगर आप जबरन शादी और सम्मान के आधार पर हिंसा की धमकियों का सामना कर रहे हैं।

अगर आप जबरन शादी का सामना कर रहे हैं, या आपको लगता है कि आपका परिवार आपको जबरन शादी के जोखिम में डाल सकता है तो आप अपने आवास विकल्पों पर विचार कर सकते हैं।

अगर आप की आयु 18 से कम है...

अगर आप की आयु 18 साल से कम है, तो स्थानीय आवास विभाग और सामाजिक सेवाएं जो एक साथ काम करते हैं, उनका कर्तव्य आपको आपके परिवार से सुरक्षित और दूर रखना है। जब तक आप कहीं सुरक्षित रह रहे हैं, जब तक आप ऐसा करने के लिए सहमती नहीं देते तब तक वे आपके परिवार से संपर्क नहीं करेंगे। आप किसी भी स्थानीय प्राधिकरण में आवेदन कर सकते हैं और आपको अपने घर के शहर के नजदीक नहीं रहना पड़ेगा। अगर आप किसी से अपनी स्थिति के बारे में बात करना चाहते हैं तो 0800 1111 पर बालसहायता को काल करें।

अगर आप 18 साल से ऊपर हैं...

किसी भी स्थानीय प्राधिकरण का कर्तव्य सलाह की पेशकश करना या कुछ विशेष हालातों में आवास की पेशकश करना है। इसकी व्यवस्था करने की लिए, इस पत्रक के पीछे दिए गए सूचीबद्ध संगठनों से सलाह लेना हमेशा उत्तम रहता है।

अगर बात इस मुकाम तक पहुँच चुकी है की आप भय के वातावरण में रह रहे हैं और आपके पास कोई अन्य आवास विकल्प उपलब्ध नहीं है, तो अंतिम सुरक्षा, तंत्र स्थानीय प्राधिकरण के माध्यम से आपातकालीन आवास के लिए आवेदन करना होगा। आपात स्थिति में स्थानीय प्राधिकारी के पास जाना थकाऊ, घुसपैठ जैसा और अधिक समय ले सकता है। जब निजी सुरक्षा खतरे में हो तब इसे केवल एक अंतिम उपाय के रूप में माना जाना चाहिए।

आप शायद शरणार्थी आवास खोजने में सक्षम हो जाएँ जहाँ कार्यकर्ता पुन:आवास प्रक्रिया के बारे में आपको अवगत करवाएंगे। इसकी खोज करने के लिए राष्ट्रीय घरेलू हिंसा हेल्पलाइन को 0800 2000 247 पर काल करें। अगर आप अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, तो वे एक दुभाषिया प्रदान करेंगे। यह सेवा मुख्य रूप से महिलाओं के लिए है। अगर आप पुरुष हैं या आप कोई सेवा से बात करना चाहते हैं जो समलैंगिक, उभयलिंगी या ट्रांस समर्थन के बारे में माहिर हो , तो www.lgbtdaf.org पर सूचीबद्ध संगठनों से संपर्क करें।

अगर आप को डर है की आपको ब्रिटेन से आपकी इच्छा के विरुद्ध निकाला जा सकता है, या आपको छुट्टी पर ले जाया जा रहा है और आपको लगता है कि शायद आप वापिस नहीं आ पाएंगे, तो जबरन शादी यूनिट से संपर्क करें।

अपना घर छोड़कर जाना एक बड़ा कदम है और आप भावुक महसूस कर सकते हैं। कभी कभी रिश्तेदारों से दूर रहना आप के लिए सबसे सुरक्षित विकल्प हो सकता है। यह ऐसा समय भी होगा जहां आप अपने भविष्य के बारे में सोच सकते हैं। आप अपने आप को लेस्बियन, समलैंगिक आदमी, उभयलिंगी या ट्रांसजेंडर व्यक्ति के रूप में बदलने के लिए स्वतंत्र हैं और उन लोगों तथा भागीदारों के साथ सुरक्षित जीवन जी सकते हैं जो आपके जीवन का सम्मान करते हैं।।

सुरक्षा की योजना बनाना

सुरक्षित रहना वास्तव में महत्वपूर्ण है।

1. समय के साथ, छोडकर जाने की तैयारी शुरू करें।
2. अपना पासपोर्ट, दवा, आईडी, बैंक कार्ड और विवरण जैसे आवश्यक दस्तावेजों में से कुछ, आपातकालीन पैसे और कपड़ों को किसी दोस्त या कोई अन्य के पास रखने की व्यवस्था करें जिसे पर आपको विश्वास हो।
3. यदि आपके बच्चे हैं, तो उन्हें अपने साथ ले लें और पहुँचने से पहले उन्हें मत बताएं की आप जा रहे हैं।
4. अपने अगले कदम के बारे में एलजीबीटी एजेंसी- वुमन्स एईड, या जबरन शादी यूनिट से बात करें।
5. किसी को मत बताएं, या फेसबुक और सोशल मीडिया सहित अपनी योजना कहीं मत लिखें, क्योंकि यह आपके स्थान का पता बता सकता है।

सहायता प्राप्त करें या परामर्श लें

स्टोनवाल हाउसिंग की घरेलू दुर्व्यवहार वकालत सेवाएं / वा 02073595767 / info@Stonewallhousing.org एं accepts referrals across London.

जबरन शादी यूनिट/ +44 (0) 20 70080151 / fmu@fco.gov.uk

stonewall housing

HM Government
Forced Marriage Unit